

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-723/एक-10-2021-33(46)/2018
लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2021
कार्यालय-जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पत्र संख्या-781 रा0आ0प्र0प्रा0/2020-21, दिनांक 31 मार्च, 2021 के माध्यम से किये गये मांग-पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित बजट में से अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-30प्र0 आपदा प्रबंध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-30प्र0 आपदा प्रबंध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 06 माह (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक) हेतु, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु रु0 400.00 लाख (रुपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि को राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रमांक	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20	500.00	300.00	200.00
2	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) 2245-80-800-06-00-31	212.00	100.00	112.00
	योग	712.00	400.00	312.00
(रुपये चार करोड़ मात्र)				

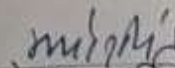
(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 723 (1)/एक-10-2021-33(46)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम)/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन 30प्र0, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।